

(5)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ ५-२/२०१५/१/९

भोपाल दिनांक १२/०३/२०१५

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ ५-४/९९/९-१ दिनांक १३.१.१९९ परिपत्र क्र. ५-१/०६/१/९ दिनांक २२/३/२००६ क्रमांक ५/१/२००७/१/९ दिनांक ५/४/२००७ क्रमांक ५/६/००८/१-९ दिनांक २३/०६/२००८ एवं क्रमांक ५-१/२००९/१-९ दिनांक ४/५/२००९, क्रमांक ५-१/२०१०/१-९ दिनांक २०/०५/२०१० क्रमांक एफ ५-१/२०११/१/९ दिनांक २६/४/२०११, एफ ५-१/२०१२/१/९ दिनांक २३/०६/२०१२ एवं एफ ५-१/२०१३/१/९ दिनांक ०२/०५/२०१३।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है :-

१.	सेल्फ असेसमेन्ट प्रस्तुत करने की अवधि	३० अप्रैल,
२.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	१५ मई
३.	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	३१ मई
४.	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मतांकन	१५ जून

२/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक २३ जुलाई, २०१४ में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। गोपनीय प्रतिवेदन में पूर्ण रूप से मतांकन होने के पश्चात संबंधित शासकीय सेवक को प्रकटन किये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय को प्रेषित किये जावे।

२२५

3/ विभाग द्वारा बार-बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी कतिपय विभागों में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन उक्त निर्धारित समय-सीमा में नहीं लिखे गये हैं। विभागों द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस स्थिति को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है।

4/ अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मतांकनकर्ता अधिकारी यह टीप अंकित करते हुये कि स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, संबंधित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन करेंगे, साथ ही संबंधित अधिकारी से स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्थ पर प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।

5/ अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों की वर्ष 31.3.2015 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली निर्धारित समय-सारणी अनुसार अनिवार्य रूप से लिखी जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही इस बात ध्यान रखा जाये गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन या मतांकन के समय तिथि का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

6/ समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में उसका उल्लेख किया जाये।

7/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

ज्ञात
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-2/2015/1/9
प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मामुख्यमंत्री जी, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

भोपाल दिनांक 12/03/2015

ग्रन्थ
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग